e-mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in
ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/बी-6/नियमन/697/ 3770 भोपाल, दिनांक 08/09/2023

प्रति,

संयुक्त संचालक (समस्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .... (म.प्र.)

विषयः गेंहू पर स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में गेंहू का व्यापार करने वाले व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स द्वारा स्टॉक की स्थिति की घोषणा के संबंध में।

संदर्भः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/4450/खाद्य/2023 दिनांक 19-07-2023

.....000......

उल्लेखित विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेंहू पर स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में गेंहू का व्यापार करने वाले व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स द्वारा स्टॉक की स्थिति की घोषणा के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

अतः आपके अधीनस्थ मंडी समितियों में उपरोक्त निर्देशों के पालन, संबंधितों की नियमित मॉनिटरिंग तथा इस संबंध में जिला प्रशासन से आवश्यक समन्वय की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

(अपर संचालक द्वारा अनुमोदित)
संलग्न - उपरोक्तानुसार।

08/09/23
संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/बी-6/नियमन/697/ 3771 भोपाल, दिनांक 08/09/2023

प्रतिलिपिः-

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, ________ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08/09/23
संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय

खण्ड-घ प्रथम तल विन्ध्याचल भवन भोपाल-मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19-7-2023

क्रमांक/ 4450 /खाद्य/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- समस्त
मध्यप्रदेश ।

विषयः- गेहूं पर स्टोक सीमा लागू करना और व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स द्वारा स्टोक की स्थिति की घोषणा के संबंध में।

संदर्भः-उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्र क्रमांक No.3/1/2007-Py.III-Part (1) (E.383947) नई दिल्ली दिनांक 19.06.2023 एवं भारत सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 28.06.2023 में दिये गये निर्देश एवं प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र क्रमांक 237 भोपाल दिनांक 26.06.2023 ।

---0---

विषयांतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्रानुसार गेहूं के व्यापार में स्टोक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टोक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 लागू किया गया है। जिसके अनुसार व्यापारी/थोक विक्रेता,रिटेलर,बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी हैं ।उपरोक्त समस्त इकाईयाँ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर स्टोक की स्थिति घोषणा करेंगी । भारत सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशानुसार समस्त इकाईयों को गेहूं के स्टोक की घोषणा एवं उनके पास धारित स्टोक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे इसे निर्धारित स्टोक सीमा तक दिनांक 11.07.2023 तक भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज कर दंव।

अतः अनुरोध है कि जिले के सभी गेहूं का व्यापार करने वाले व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स की बैठक आयोजित कर सर्व संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन किये जाने एवं अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार होना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
भोपाल म.प्र.

भोपाल, दिनांक 19-7-2023

पृ. क्रमांक/ 4451 /खाद्य/2023

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सर्व संबंधितों को निर्देशित करने हेतु प्रस्तुत ।
1. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ईदगाह हिल्स भोपाल । समस्त गेहूं से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों अवगत कराने हेतु ।
2. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
भोपाल म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

No.3/1/2007-Py.III-Part(1) (E.383947)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
****

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated19-06-2023

To

The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary(Food)
All States/UTs.

Sub: Minutes of Meeting held on 13.06.2023 at 3:30 PM under the Chairmanship of Secretary DFPD regarding Imposition of Stock Limit on Wheat

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of Minutes of Meeting held on 13.06.2023 at 3:30 PM under the Chairmanship of Secretary DFPD regarding Imposition of Stock Limit on Wheat.

2. This issues with the approval of Competent Authority, Department of Food & Public Distribution.

Encl: As above.

Signed by Neeru Batra
Date: 19-06-2023 17:14:38
Reason: Approved

Yours faithfully,
Section Officer to the Govt. of India

Copy to:
The CMD, FCI, New Delhi

1. Sr. PPS to Secretary, DFPD
2. PPS to AS(P&FCI), DFPD
3. PS to Director(Py-III)

Minutes of Meeting held on 13.06.2023 at 3:30 PM under the

Scanned with OKEN Scanner

Chairmanship of Secretary DFPD regarding Imposition of Stock Limit on Wheat

List of participants is annexed at **Annexure-1.**

At the outset, AS(P&FCI), DFPD welcomed all the participants. He mentioned that prices of Wheat are on an increasing trend in a month. To stabilize the prices and ensure easy availability, the government has imposed Wheat Stock limits on Traders/wholesalers, retailers, Big Chain retailers, and Processors through notification dtd 12.06.2024. A detailed presentation was made to the States/UTs regarding the imposition of stock limits on wheat.

2. Secretary, DFPD mentioned that in order to manage overall food security and prevent artificial scarcity created by unscrupulous speculation and hoarding, stock limits on wheat have been imposed applicable to Traders/wholesalers, retailers, Big Chain retailers, and Processors.

3. After discussion following actionable points emerged:

S.No.	Decision
i	State/UTs to conduct similar meetings with district-level authorities and create awareness about disclosure of stock limit by the entities. **All States/UTs to appoint a nodal officer for this purpose and convey the details to DFPD**
ii	State/UTs Food Secretaries to follow up on the matter so that limits are adhered to by the entities. All entities must disclose the stock holding on every Friday on the designated portal. Food Secretaries to include this as a regular agenda in their meetings.
iii	State/UTs to give wide publicity of the notification issued by this Department.
iv	e-NAM/Mandi and OMSS purchases have a lot of information regarding the quantity of purchase of Wheat. State/UTs have to access & utilize that information in order to strictly impose the Wheat Stocking limits.
v	State/UTs have to monitor Wheat Stock Limit Portal (https://evegoils.nic.in/wsp/login) *on a weekly basis by designating a nodal officer.*

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Scanned with OKEN Scanner

***

List of Participants

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Shri Sanjeev Chopra, Secretary, DFPD-------in the chair
Shri Subodh Kumar Singh, A.S.(P&FCI), DFPD
Smt. Nandita Mishra, Sr EA, DFPD
Shri Rakesh Kumar Meena, Director(Py-III), DFPD

FCI

Shri Ashok K. K. Meena, CMD, FCI

States/UTs Participated through VC.

Scanned with OKEN Scanner

No.3/1/2007-Py-III(343806)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
***

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated19-06-2023

To

The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary(Food)
All States/UTs

Sub: - Imposition of stock limit on Wheat and declaration of stock position by Traders/Wholesaler, Retailer, Big Chain Retailer, and Processors- reg

Sir/Madam,

I am directed to refer to S.O. No. 2566(E) dated 12.06.2023 wherein stock limits have been imposed on Wheat applicable to **Traders/wholesalers, Retailer, Big Chain Retailer, and Processors.**

2. In this regard, it is informed that Wheat Stock Monitoring Portal (https://evegoils.nic.in/wsp/login) is made live for the Registration of entities. Entities have to first upload the stock held by them by 30.06.2023, after that, every Friday stock held by the them is to be declared on the portal. For any query, DFPD may be contacted at email ID: wheatstock.fpd@gov.in. A user manual is enclosed for ready reference.

3. State/UTs are requested to inform all entities in their respective States/UTs to register immediately and monitor the stock limit on a weekly basis.

Yours faithfully
Signed by
Rakesh Kumar Meena
Date: 19-06-2023 10:10:43
(Rakesh Kumar Meena)
Director to the Government of India

CC: 1. Sr EA, DFPD
2. DS/Py-I, DFPD

Scanned with OKEN Scanner

No.3/1/2007-Py-III(343806)
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
***

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated19-06-2023

To

The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary(Food)
All States/UTs

Sub: -Corrigendum on Imposition of stock limit on Wheat and declaration of stock position by Traders/Wholesaler, Retailer, Big Chain Retailer, Processors

Sir/Madam,

I am directed to letter of even number dated-19.06.2023 regarding Imposition of stock limit on Wheat and declaration of stock position by Traders/Wholesaler, Retailer, Big Chain Retailer, Processors.

2. In this regard, in Para-2 of aforesaid letter "**date-30.06.2023**" may be read as "**date-23.06.2023**" and email ID: **wheatstock.fpd@gov.in"** may be read as **"email ID: wheatstock-fpd@gov.in"**.

Yours faithfully

Signed by Neeru Batra
Date: 19-06-2023 18:33:27
Reason: Approved
(Neeru Batra)
Section officer to the Govt. of India

Copy to:

1. Sr. EA, DFPD
2. DS(PY-I), DFPD
3. NIC, DFPD -for carrying aforesaid amendment in the Wheat Stock Manaul.

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

मंत्रालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक 237/PS-FOOD/2023 भोपाल, दिनांक 26/6/2023

प्रति,

कलेक्टर्स,

जिला- समस्त

मध्यप्रदेश

विषय:- गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू करना और व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स द्वारा स्टॉक की स्थिति की घोषणा के संबंध में।

संदर्भ:- उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्र क्रमांक No.3/1/2007-Py.III-Part (1) (E.383947) नई दिल्ली दिनांक 19.06.2023

---o---

विषयांतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्रानुसार गेहूं के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 लागू किया गया है जिसके अनुसार व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। उपरोक्त समस्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगी। उक्त इकाइयों द्वारा 23.06.2023 तक अपने स्टॉक की जानकारी उक्त पोर्टल पर अपलोड करना है एवं प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक को घोषित करना है। भारत सरकार द्वारा भेजा गया यूजर मैन्युअल एवं भारत सरकार द्वारा जारी स्टॉक सीमा की अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित हैं।

अतः अनुरोध है कि जिले के सभी गेहूं का व्यापार करने वाले व्यापारी/थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स की बैठक आयोजित कर सर्व संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन किये जाने एवं अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(उमाकांत उमराव)

प्रमुख सचिव,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक/ 238/PS-FOOD/2023 भोपाल, दिनांक 26/6/2023

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल।

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सर्व संबंधितों को निर्देशित करने हेतु प्रस्तुत ।

4. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,

भोपाल म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner